

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 426 / 10

संस्थापन दिनांक:-26 / 07 / 10

फाईलिंग नं. 233504006182010

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

पंजू पिता हरीप्रसाद बेले
उम्र 26 वर्ष, निवासी हसलपुर,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 03.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 19.07.2010 को समय दिन करीब 03:30 बजे माता मंदिर के पीछे ग्राम हसलपुर थाना आमला जिला बैतूल में प्रार्थी बबलू बेले को कुल्हाड़ी जैसी किसी धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 19.07.2010 को गांव में माता मंदिर में पीछे खड़ा था तभी अभियुक्त आया और पुरानी बात को लेकर उसके सिर पर एवं दाहिनी जांघ पर कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज से मारा जिससे उसके सिर एवं दाहिनी जांघ पर चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी बोड़खी में अपराध क्र. 020/10 पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया जहां अभियुक्त के विरुद्ध असल अपराध क्र. 190/10 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसे के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.07.2010 को समय दिन करीब 03:30 बजे माता मंदिर के पीछे ग्राम हसलपुर थाना आमला जिला बैतूल में प्रार्थी बबलू बेले को कुल्हाड़ी जैसी किसी धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

II. विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार II

6 बबलू उर्फ योगेश (अ.सा.-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना लगभग पांच वर्ष पहले की हसलपुर स्थित उसके घर के पीछे की दिन के 1 बजे की है। उसका अभियुक्त से पुरानी बात को लेकर विवाद हो गया था। जिस पर अभियुक्त ने उसके साथ झूमा झटकी की थी और उसे पटक दिया था जिससे उसके सिर पर चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) थाने में लेख करवायी थी।

7 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह दिनांक 19.07.2010 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने बबलू बेले का चिकित्सकीय परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान आहत के सिर के उपरी भाग पर पांच टांके लगा हुआ घाव एवं दाहिनी निपील के उपर सीधी रेखा में घसड़ा का निशान तथा दाहिनी जांघ के अंदर तरफ 4 गुणा आधा सेमी. आकार का मासपेशी की गहराई तक का घाव पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि चोट क्र. 2 नुकिली वस्तु एवं चोट क्र. 3 धारदार वस्तु से आना बताया है। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) को प्रमाणित भी किया है।

8 साक्षी वीरू कुमार (अ.सा.-1) एवं गोपाल (अ.सा.-2) ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

9 बबलू उर्फ योगेश (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा उसके साथ झूमा झटकी कर उसे पटकने से उसके सिर पर चोट आने के कथन किये हैं परंतु साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले

प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसके सिर एवं जांघ में कुल्हाड़ी की मुदाल से मारकर चोट पहुंचाये जाने की बात को गलत बताया है।

10 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि आहत के परीक्षण के समय आहत/फरियादी बबलू उर्फ योगेश (अ.सा.-4) के सिर पर पांच टांके लगा हुआ घाव पाया था। उक्त साक्षी ने आहत को आयी चोट कितने समय पहले की थी यह बताने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। आहत को आयी अन्य चोटें धारदार वस्तु से आना साक्षी ने अपनी साक्ष्य में बताया है परंतु स्वयं फरियादी बबलू उर्फ योगेश (अ.सा.-4) ने उसे धारदार वस्तु से अभियुक्त द्वारा चोट कारित किये जाने से इनकार किया है। साथ ही साक्षी बी.पी. चौरिया के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि आहत को आयी सभी चोटें कितने समय पूर्व की थी जिससे कि यह पता चले कि आहत को आयी चोटें अभियोजन द्वारा वर्णित घटना के अनुक्रम में ही आयी थी।

11 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ झूमा झटकी कर मारपीट की जाना प्रमाणित होता है परंतु स्वयं फरियादी गोलू ने अभियुक्त द्वारा उसे किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाये जाने से इनकार किया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी बबलू उर्फ योगेश को धारदार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त पंजू को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)